देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर – 452 001

क्र. शैक्षणिक / सम्बद्धता / 2023 / 2075 दिनांक : 09 OCT 2023

/ / अधिसूचना / /

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से **सत्र 2024-25** में केवल विधि संकाय के अन्तर्गत संचालित होने वाले एलएलबी.(ऑनर्स) / बी.ए.एलएल.बी.(ऑनर्स) / बी.कॉम.एलएल.बी.(ऑनर्स) / बी.बी.ए.एलएल.बी.(ऑनर्स) / एलएल.एम. पाठ्यक्रमों की नवीन सम्बद्धता / अस्थाई सम्बद्धता / नवीनीकरण / सीट वृद्धि / पूर्व वर्षों से संचालित पाठ्यक्रमों की निरंतरता हेतु मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल तथा बी.सी.आई. नई दिल्ली की अनुमति के साथ विश्वविद्यालय में सम्पूर्ण दस्तावेज (आवश्यक प्रपत्रो) के साथ **MP Online** के माध्यम से आवेदन एवं शुल्क, 18 % जी.एस.टी. सहित जमा करने की अंतिम तिथि निम्नानुसार निर्धारित की गई है:–

क्र.	विषय	विश्वविद्यालय में **MP Online** के माध्यम से आवेदन एवं शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि
1	महाविद्यालयों में विधि संकाय के अन्तर्गत संचालित होने वाले समस्त पाठ्यक्रमों की सत्र 2024–25 में अस्थाई सम्बद्धता /नवीनीकरण /निरंतरता /नवीन सम्बद्धता प्राप्त किये जाने संबंधी कार्यवाही हेतु आवेदन के साथ शुल्क जमा करने की तिथि।	30 अक्टूबर 2023
2	25 % अतिरिक्त विलम्ब शुल्क सहित **(with late fees)** आवेदन करने की अंतिम तिथि	15 नवम्बर 2023
3	पृष्ठ क्र.–2 पर संलग्न दिशा निर्देश अनुसार ऑनलाईन दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि।	15 नवम्बर 2023

सत्र 2024–25 से सभी प्रकार के आवेदन **MP Online** के माध्यम से विश्वविद्यालय पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। इस हेतु महाविद्यालय सम्पूर्ण आवेदनपत्र **(PART-A)** मय संलग्नको / प्रस्तुत दस्तावेजों को प्राचार्य / संस्था के सचिव से अनिवार्य रूप से सत्यापित करवाकर, महाविद्यालय की सील सहित साफ / पठनीय स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। अपलोड किए गए दस्तावेजों को व्यवस्थित फाईल / फोल्डर में तालिकानुसार फ्लेग लगाकर विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें।

यदि महाविद्यालय विश्वविद्यालय से सम्बद्धता / नवीनीकरण एवं बी.सी.आई. की अनुमति प्राप्त किये बगैर विद्यार्थियों को प्रवेश देता है तो इसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित महाविद्यालय / संस्था की होगी एवं ऐसे विद्यार्थियों की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित नहीं की जावेगी। इसमें विश्वविद्यालय की कोई जवाबदारी नहीं होगी । ऐसे दोषी पाये गये महाविद्यालय के अन्य पाठ्यक्रमों की भी सम्बद्धता रद्द करने की कार्यवाही की जावेगी ।

ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क जमा नहीं करने तथा दस्तावेज अपलोड नहीं करने पर नवीन सम्बद्धता / पूर्व वर्षो से संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई सम्बद्धता / नवीनीकरण / निरंतरता प्रकरण पर कार्यवाही नही की जायेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित महाविद्यालय / संस्था की होगी।

नोट:– नवीन प्रारंभ होने वाले महाविद्यालय द्वारा एण्डोमेण्ड फण्ड की राशि रू. 1000000 / –(दस लाख) की राष्ट्रीयकृत बैक की एफ.डी.आर. कुलसचिव एवं महाविद्यालय / संस्था के संयुक्त नाम से सम्बद्धता जारी करने के पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ.क्र. शैक्षणिक / सम्बद्धता / 2023 / 2075 दिनांक : 09 OCT 2023

प्रतिलिपि :–

1. प्राचार्य / संचालक, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त शासकीय / अशासकीय विधि महाविद्यालयों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र.शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इन्दौर संभाग, मोती तबेला केम्पस इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. कुलपतिजी के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. विभागाध्यक्ष, आई.टी. सेन्टर की ओर वि.वि. वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
6. एम.पी.ऑनलाईन प्रभारी, दे.अ.वि.वि. इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
7. सम्पादक, दैनिक -- की ओर भेजते हुए निवेदन है कि आपके लोकप्रिय दैनिक के समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें ।

सहा.कुलसचिव(शैक्ष.)

Desktop/Affiliation Notification